सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
नियत तिथि/Due date –18.12.2013
TIME BOUND/RTI MATTER

भारत सरकार
खान मंत्रालय
शास्त्री भवन : नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन ।

श्री. बलवंत अनंतरामजी कुहिटे, नागपुर से प्राप्त मूल आवेदन दिनांक 11.11.2013 को इस पत्र के साथ उचित कार्यवाई हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है ।

2. आपसे अनुरोध है कि उक्त आवेदन को आर.टी.आई. ऑनलाईन पोर्टल में **प्राप्ति के तीन दिनों में तुरंत प्रविष्ट** करके आवेदक को पावती भेजी जाए एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियमों का पालन करते हुए उसपर निर्धारित समय में कार्यवाई की जाए ।

राजेशशाह

(राजेश शाह/Rajesh Shah)
ए.सी.पी.आई.ओ./ACPIO

संलग्न: FTS 16994

श्री. अमित चौबे, अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
पी.आई. सैल/PI Cell U.O. No. ई-मिसिल 2/191/2013-पी.आई. दिनांक/Dated 20.11.2013

172

रजी ~~पोस्ट~~ पोष्ट विथ ए/डी द्वारा

सुचना का अधिकार अधिनियम २००५ प्रारूप — एक

सुचना का अधिकार अधिनियम — २००५ की धारा ६ (१) के अंतर्गत आवेदनपत्र का प्रारूप

16994
8 NOV 2013
डाक प्राप्ति

१) आवेदक का नाम : बलवंत अनंतरामजी कुहिटे निवासी ३५—ए, शिवम कुंज बरडे नगर, बोरगांव, नागपूर जिला नागपूर ४४००१३ महाराष्ट्र

२)

३) दूरभाष क्र. : ०९३२५०८५८८३, ~~०९३०७६९१४४३~~

४) आवेदन देने का दिनांक : 11.11.2013.

५) कार्यालय का नाम : मा. उप सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001.

६) चाहि गई जानकारी का विवरण :

७) क्या चाहते है : प्रमाणित प्रतियाँ, निम्नलिखित दस्तावेजो की

~~सदर आवेदन पत्र के साथ संलग्न पत्र के संबध मे आवेदक को आप निम्नलिखित बिंदुओ के अनुसार लिखीत जानकारीयाँ एवं प्रमाणीत नकल देने की कृपा करे/~~

~~(1) आपको उपरोक्त संलग्न पत्र के अनुसार मा. कंट्रोलर जनरल इंडीयन ब्युरो ऑफ माइन्स, इंदीरा भवन, सिव्हील लाइन्स, नागपुर से रिपोर्ट/पत्र एवं इसके साथ संलग्न सभी कागज पत्रो के साथ आपको रिपोर्ट/पत्र टिपनी/कॉमेंट भेजे होंगे तो आप I.B.M. Nagpur ने आपको भेजे हुये रिपोर्ट/पत्र/टिपनी/कॉमेंट की एवं इसके साथ संलग्न सभी कागजो की भी आप प्रमाणीत प्रतीयाँ आवेदक को देने की कृपा करे/~~

~~(2) आपने उपरोक्त संलग्न पत्र दि.26.8.2013 को आपने I.B.M. Nagpur को भेजने के बाद से आपने मे. फार्चुन मिनरल्स के मौजा भीलापार तह. सौंसर जिला छिंदवाडा (M.P.) के ख.क्र. 83 एवं 84 की आराजी 9.037 हेक्टेयर मे मेंगनीज ओअर एवं डोलोमाइट के उत्खनन के लिये म.प्र. शासन ने रिकमेंड किये ML को अप्रुव्हल देने हेतु आपके कार्यालय मे मिलने के बाद मे आपको इस ML का प्रकरण पेंडींग है, तो आपने इस प्रकरण मे दि.23.8.2013 के बाद से इस प्रकरण मे जो भी पत्रव्यवहार कोई भी भारत सरकार एवं म.प्रदेश शासन के कोई भी कार्यालय को आपने भेजे हुये पत्रव्यवहार एवं और संबधी जानकारीयाँ भेजकर कार्यालय ने आपको भेजे हुये आवेदक के जानकारीयाँ देने के दिनांक तक सभी पत्रव्यवहारो की आप आवेदक को प्रमाणीत प्रतीयाँ देने का कष्ट करे।~~

~~(3) आवेदक ने आपको दि. 11/11/2013 को आप जानकारीयाँ आवेदक को भेजने तक के दिनांक तक बिंदु क्रमांक 3 के अनुसार मे. फार्चुन मिनरल्स के बारे में आपके कार्यालय में आक्षेप पत्र/हरकत पत्र जो भी प्राप्त हुये हो या मे. फार्चुन मिनरल्स ने दिये हो बाद मे आप जो भी कार्यवाही करेंगे वह सभी जानकारीयाँ लिखीत मे या आप प्रमाणीत नकल आप आवेदक को देने कृपा करे।~~

~~(4) आपको दि. 26.8.2013 के बाद मे मे. फार्चुन मिनरल्स मौजा भीलापार के ML के संबध मे जो भी पत्र/रिपोर्ट/टिपनी/कॉमेंट के पत्र I.B.M.N. ने आज तक जो भी पत्रव्यवहार किया होतो आप पत्रव्यवहारो की एवं इसके साथ संलग्न सभी कागजपत्रो की भी आप प्रमाणीत प्रतीयाँ आप आवेदक को देने की कृपा करे।~~

..2..

PI (Cell)
19/11

e file - 9/172/2013-PI

Recd.
19/11/13

MINISTRY OF MINES
10
29
19/11

..2..

5.) क्या आपको आवेदक दि. 11.11.2013 भेजा गया भेजे हुये आक्षेप पत्र के अनुसार आप जो भी कार्यवाही करेंगे वह कार्यवाही (कारवाई) सभी प्रमाण पत्रों की आप प्रमाणित प्रतीयां आप आवेदक को देवें।

6) क्या आपको आवेदक के आक्षेप पत्र भेजने के बाद मे भी आप मे. फार्च्यून मिनरल्स को आप प्रायर अप्रुवल देंगे या नही इस बारे आप लिखीत जानकारीयां देने की कृपा करें।

7) क्या आप मे. फार्च्यून मिनरल्स के विरुद्ध मा. जबलपुर हायकोर्ट मे रिट पिटीशन क्र. 17175/2010 अभी भी पेंडींग रहने की जानकारीयाँ आवेदक ने आपको आपने आक्षेप / ऑब्जेक्शन के पत्र के द्वारा देने के बावजूद भी आप मे. फार्च्यून मिनरल्स को आप प्रायर अप्रुवल मंजूर करेंगे या नही इसबाबत आप लिखी जानकारीयां एवं प्रमाणी प्रतीया आप आवेदक को देने का कष्ट करें।

8) क्या आपके कार्यालय मे मे. फार्च्यून मिनरल्स के प्रकरण में श्रीमती शकुंतला अमोल नागपुरे निवासी नागपुर ने सन 2008 के अंकित जो भी आक्षेप पत्र / ऑब्जेक्शन लेटर या इकरार पत्र / या ऑब्जेक्शन लेटर एवं इकरार लेटर के साथ संलग्न सभी कागजपत्रों के साथ दिया था तो आप सन 2008 मे अंकित दिये हुये सभी ऑब्जेक्शन पत्र एवं इन पत्रों साथ संलग्न सभी कागजपत्रों की आप प्रमाणित प्रतीया आवेदक को देने का कष्ट करें।

9) क्या श्रीमती शकुंतला मे. फार्च्यून मिनरल्स के प्रकरण में दिये कोई भी नॉट इन वे (?) ऑर्डर सन 2008 से अंकित आपके कार्यालय मे पेश किया हो तो आप यह सभी वे आदेश की प्रमाणित प्रतीया दिजीये।

11) क्या आप आवेदक की ओर मा. वरिष्ठ क्षेत्रीय कार्यालय (रिजीनल विभाग) भारत सरकार खान मंत्रालय मे सन 2005 को मे. फार्च्यून मिनरल्स के आपने ख.क्र. 83 एवं 84 के बारे मे मौजा मिलपार तह. ओसर जि. छिंदवाड़ा स्थित ख.क्र. 83 एवं 84 के बारे मे प्रायर अप्रुवल मंजूर करने के लिये आपके कार्यालय प्रकरण चल रहा। इसकी स्थापना के संबंध मे ... क्र. 16(18)/2013/20 RC-II ख.क्र. 83 एवं 84 के संबंध मे केस अंकीत एवं पेंडींग है ... रिजीनल ... आप मे. फार्च्यून मिनरल्स को अप्रुवल देते हो तो आप केस पेंडींग रहते हुये ... जानकारीया आवेदक को देवें।

८) आवेदक के साथ अदा किए 10/- की ~~स्टाम्प टिकिट~~ पोस्टल आर्डर क्र. 97E 622625 जाहिरे जानेवाले प्रोसेस की फीस रसीद क्रंमाक दिनांक 11/11/2013

९) क्या आवेदक गरीबी रेखा के निचे : नही
है अथवा नही, यदि हां तो बी. पी एल का क्र.मांक डाले

नोंट : आवेदन के साथ दस्तावेज प्रदान करने हेतु लिफाफा संलग्न है।

(हस्ताक्षर)

हस्ताक्षर / आवेदनकर्ता

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक..
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक ....

(लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

पदनाम (रबर सील)

दिनांक ....

Speed Post

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES

No. 5/17/2010-M.IV

New Delhi. Dt: 26/08/13

To

The Controller General,
Indian Bureau of Mines, Indira Bhawan, Civil Lines,
Nagpur – 440001.

Sub: Proposal for grant of ML for manganese ore and dolomite over an area of 9.037 Hects in village Bhilapur, District Chhindwara, Madhya Pradesh in favour of M/s Flax Mineral, Prop – Mohamed Shajid Khan for the period of 30 years

Sir,

I am directed to invite a reference to IBM's letter Nos. N-11011/51/97-CCOM/1830 dated 18.10.2010, 22.2.2011 and 29.6.2011 on the subject cited above. In view of the comments given by IBM vide their cited letters, the proposal was submitted for consideration in the Ministry. While considering the same, it was observed by the competent authority in the Ministry that the procedure applied in the case is not acceptable in view of the fact that it is not an application coming under Section 11 (1) i.e. transition from PL to ML, as there was no PL for bauxite. Accordingly, the proposal was returned to the State Government on 17.4.2012.

2. Now the State Government has re-submitted the proposal vide their letter dated 5.12.2012 to the Ministry *inter-alia* drawing attention towards Ministry's letter No. M-II (10)/63 dated 16.12.1963, which is reproduced as under:-

> Preferential mining right extends to minerals not mentioned in PL - Section 11 (1) of the Mines and Mineral (R&D) Act, 1957 refers only to the land covered by a PL and not to the mineral for which the PL might be held and the form of PL also refers only to the area held under the licence and not the minerals, the preferential right of a licensee to obtain ML is not restricted to the mineral mentioned in the PL if in the course of prospecting, the licensee discovers the presence of another mineral or minerals not specified in the PL and he applied for a ML in respect of such mineral (s), he is entitled to preference for the grant of ML for such minerals.

3. In view of the foregoing, IBM is requested to give their comments on the above keeping in view the provisions of MMDR Act, 1957 and the Rules and Guidelines framed thereunder. It is requested that the comments should cover the following specific points to enable this Ministry to take a considered view in the matter:-

(i) Whether the case merits consideration under Section 11 (1) of the Act keeping in view the fact that manganese has been included in mining lease although the same was not in PL stage.

(ii) Whether the letter No. M-II (10)/63 dated 16.12.1963 is still in vogue and its relevance in the present case?

(iii) Whether the available data would enable preparation of an optimal and scientific mining plan for the subject area, to let this Ministry take a view on the proposal in terms of para 4.2 and 4.3 of our guidelines dated 24.6.2009.

Yours faithfully,

Encl: As stated above

(C.K. Rawat)
Deputy Secretary to the Government of India

Copy to:-

M/s Flax Mineral, Prop – Mohamed Shajid Khan, Prasant Nagar, Behind Police Line Takli, 117 Near Masjid, Katol Road, Nagpur – 440013.

दस टका दस टाका दस रुपिया ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ... पत्तु ரூபா दहा रुपये ... दस रुपये दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO Pay & Account Officer, Minenstry of Mines, Govt of India New Delhi को

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

रुपए 10.00 Rs.

कमीशन COMMISSION पैसे 50 PAISE

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT

New Delhi

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

Balwant A. Kuhite.
35-A, Shivam Kunj, Barade Nagar, Borgaon, Nagpur
440013

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

सत्यमेव जयते

97E 622625

अधपन्ना COUNTERFOIL

इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख ले।
To be detached and kept by the Sender.

पोस्टल आर्डर
रुपए 10.00 Rs.
POSTAL ORDER

किसे अदा करना
To whom payable Pay & Account Officer, Ministry of Mines, Govt of India, New Delhi

किस डाकघर में
At what Office New Delhi

क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed Yes

भेजने की तारीख
Date sent

97E 622625

Speed Post

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES

No. 9/1/2013-MIV

Dated the 16.12.2013

To,

Shri Balvant Antararamjee Kuhetay,
35 A, Shivam Kunj, Bardey Nagar,
Borebauw, Nagpur – 440013.

Sub: - Information sought under RTI Act, 2005.

Sir,

I am directed to refer to your RTI application dated 11.11.2013 on the subject cited above.

2. It is mentioned at the outset that the application filed by you is hand written, which is illegible. In future, you are requested to file typed/clear hand written application to enable us to respond appropriately to your queries. However, information with regard to the points as gathered from your above mentioned RTI application is given in the succeeding paragraphs.

3. It is informed that in respect of the proposal recommended by Government of Madhya Pradesh for grant of Mining Lease for manganese ore and dolomite over an area of 9.037 Hects in village Bheelapar, District Chhindwara, in favour of M/s Flax Mineral, Prop – Mohamed Shajid Khan for a period of 30 years, the IBM was consulted vide Ministry's letter No. 5/17/2010-M.IV dated 26.8.2013. The reply of the IBM is awaited. As such, presently, we have no documents to supply.

4. The Revision Cell of this Ministry vide their communication dated 7.3.2012 has informed that three revision applications had earlier been received against the above mentioned proposal and the same has already been disposed (copy of the same is enclosed herewith).

5. If you are not satisfied with the reply / information, you may prefer an appeal to Shri A.K. Mallik, Under Secretary and Appellate Authority, Ministry of Mines, Room No. 314 'D' Wing, Shastri Bhavan, New Delhi within 30 days of receipt of information.

Yours faithfully,

16/12/13

(Amit Choubey)
Section Officer and CPIO

Encl: As mentioned above.

Copy to:-

PI Cell, Ministry of Mines with reference their U.O. No. E-Misel 2/191/2013-P.I dated 20.11.2013.

179